न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :– संजीव कुमार उपखण्ड अधिकारी
राजस्व वाद संख्या 99/2013

1. बजरंगदास पुत्र जीयादास जाति स्वामी निवासी कपूरीसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर —वादी—

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूनकरनसर। —प्रतिवादी
2. श्रीमती तुलछीदेवी पुत्री जीयादास जाति स्वामी निवासी कपूरीसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।

—औपचारिक प्रतिवादी

उपस्थित :–
1 श्री लालचन्द जाट वादी वकील
2. पेरोकार राज

दावा बाबत घोषणात्मक नक्शा दुरूस्ती
दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीए 136 एलआरएक्ट
—: निर्णय :—

दिनांक :– 29/09/2023

वादी वकील एवं पैरोकार राज उपस्थित। संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मलकीसर खेत खसरा नम्बर 693 तादादी 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 534 तादादी 6 बीघा 8 बिस्वा कुल 13 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता स्व. जीयादास की गैर खातेदारी तथा उनके कब्जेकाश्त मे चली आ रही है। उपरोक्त विवादित भूमि सम्वत 2045 की जमाबन्दी में वादगत भूमि स्व. जीयादास के नाम चली थी। सम्वत 2047 की गिरदावरी मे बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश अराजीराज में दर्ज है। जबकि वादगत भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं है। सम्वत 2015 से 2046 तक वादगत भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता स्व. जीयादास के जीवनकाल मे उनके नाम तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में दर्ज होती रही लेकिन सम्वत् 2047 की जमाबन्दी में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के वादगत भूमि इकतरफा तौर पर वादी या वादी के पिता को सूचित किये बिना आराजीराज दर्ज कर दिया तथा आगे की जमाबन्दियों मे वादगत भूमि वादी या उनके पिता के नाम दर्ज नहीं की गई। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 वादगत भूमि अपने नाम अराजीराज की जगह दर्ज कराने के हकदार है तथा वादी घोषणा कराने के हकदार है कि वादगत भूमि गलत रूप से अराजीराज दर्ज कर दी गई है। जो अवैद्य एवं अवैधानिक है। इसलिए यह घोषणा कराने के हकदार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 वादगत भूमि के खातेदार विकल्प गैर खातेदार काश्तकार है। वादगत भूमि सम्वत् 2015 से जब तक वादी या वादी के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड दर्ज हुई। वादी ने लगान अदा किया है तथा वादी के नाम लगान कायम हुआ है। लेकिन सम्वत 2047 के बाद लगान भी कायम नहीं कि गया। इसलिए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 राजस्व रेकार्ड मे दुरूस्ती करवाकर अराजीराज की जगह अपने नाम खातेदारी विकल्प में गैर खातेदारी दर्ज कराने के हकदार है।

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

वादी दिनांक 20.03.2013 को वादगत भूमि को सम्भालने गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि इस भूमि को काश्त नहीं कराना। क्योंकि यह भूमि अराजीराज है। अगर काश्त करेंगे तो तवान की कार्यवाही की जाकर जबरन बेदखल कर दिये जाओगे। वादी ने उसे समझाया कि वादगत भूमि सम्वत 2015 से 2047 तक वादी के नाम है। सम्वत 2047 मे बिना किसी कारण के सक्षम अधिकारी के आदेश के अराजीराज वादी को सुने बिना कर दिया है। लेकिन वह नहीं माना व धमकी दी कि अगर काश्त कर ली तो जबरन बेदखल कर दिये जाओगे। वादीगण ने धारा 80 सीपीसी के तहत दो माह की अवधि का नोटिस दिनांक 21.03.2023 को प्रतिवादी को दिलाया । उक्त नोटिस प्रतिवादी को उसी दिन मिल गया। लेकिन दिनांक 22.05.2013 तक प्रतिवादी ने कोई कार्यवाही वादगत भूमि वादी के नाम दर्ज करने की नहीं की। इसलिए वादी दिनांक 22.05.2013 को प्रतिवादी के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने का वादकारण प्राप्त हो गया। दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वकील वादी द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 खेत खसरा नम्बर 693 तादादी 6 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 534 तादादी 6 बीघा 8 बिस्वा कुल 13 बीघा 3 बिस्वा मौजा रोही मलकीसर के खातेदार विकल्प मे गैरखातेदार घोषणा हेतु निवेदन किया गया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी के नाम समन जारी किया गया। प्रतिवादी की ओर से पेरोकार राज उपस्थित । प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। जवाब दावा द्वारा निवेदन किया गया की लिमिटेशन एक्ट के अनुसार वाद मियाद बाहर है एवं वाद न होकर यह प्रकरण अपील का बनता है एवं वाद के तथ्यो को अस्वीकृत करते हुवे खारीज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया। दावा एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीहात कायम की गईः–

1. आया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 वादगत भूमि खेत खसरा नम्बर 693 तादादी 6.15 बीघा एवं खसरा नम्बर 534 तादादी 6.08 बीघा कुल 13.03 बीघा मौजा मलकीसर के खातेदार विकल्प मे गैर खातेदार काश्तकार है की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

   –जिम्मे वादी

2. आया की राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दुरूस्ती कर आराजीराज की जगह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

   – जिम्मे वादी

3. आया की वादी वादगत भूमि बाबत चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है।

   – जिम्मे वादी

4. आया की वादगत भूमि आराजीराज दर्ज है एवं खाली है तथा मौके पर वादी का कब्जा नहीं है अतः वाद वादी खारिज योग्य है।

   –जिम्मे प्रतिवादी

तनकी संख्या 1 ता 3 को साबित करने का भार वादी पर एवं तनकी संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर हैं। वादी को उपरोक्त तनकीयात साबित करने हेतु साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। वादी की ओर से स्वयं वादी एवं खेत पड़ोसी शंकरदास व सीताराम के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं करने पर शहादत प्रतिवादी बन्द की जाकर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

वकील वादी ने वादपत्र मे वर्णित कथनों को दौहराते हुवे निवेदन किया की खेत खसरा नम्बर 693 तादादी 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 534 तादादी 6 बीघा 8 बिस्वा कुल 13 बीघा 2 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता स्व. जीयादास की गैर खातेदारी तथा उनके कब्जेकाश्त मे चली आ रही है। उपरोक्त विवादित भूमि सम्वत 2045 की जमाबन्दी में वादगत भूमि स्व. जीयादास के नाम चली थी। सम्वत 2047 की गिरदावरी मे बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश अराजीराज में दर्ज है। जबकि वादगत भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं है। सम्वत 2015 से 2046 तक वादगत भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता स्व. जीयादास के जीवनकाल मे उनके नाम तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में दर्ज होती रही लेकिन सम्वत् 2047 की जमाबन्दी में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के वादगत भूमि इकतरफा तौर पर वादी या वादी के पिता को सूचित किये बिना आराजीराज दर्ज कर दिया तथा आगे की जमाबन्दियों मे वादगत भूमि वादी या उनके पिता के नाम दर्ज नहीं की गई। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 वादगत भूमि अपने नाम अराजीराज की जगह दर्ज कराने के हकदार है तथा वादी घोषणा कराने के हकदार है कि वादगत भूमि गलत रूप से अराजीराज दर्ज कर दी गई है।

वाद पत्र मे पूर्व मे पेश प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सीपीसी के तहत उक्त अनुवानी दावा वादगत भूमि खसरा नम्बर 693 तादादी 6 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 534 तादादी 6 बीघा 8 बिस्वा कुल तादादी 13 बीघा 3 बिस्वा मौजा रोही मलकीसर के बाबत चल रहे वादपत्र मे भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भू प्रबन्ध किया गया है तथा वादगत भूमि खसरा नम्बर 693 तादादी 6 बीघा 15 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 560 तादादी 1.71 हैक्टेयर बनाये गये है इसी प्रकार खसरा नम्बर 534 तादादी 6 बीघा 8 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 448 तादादी 1.62 हैक्टेयर बनाये गये है। चुंकि वांद पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात भू प्रबन्ध किये जाने एवं नये खसरा नम्बर बनाये जाने से उपरोक्त अनुवानी वाद पत्र मे संशोधन आवश्यक हो गया है जिसके लिये ज़रिये वकील निवेदन किया गया । उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 स्वीकार किया जाकर संशोधित वाद पत्र पेश करने हेतु आदेश दिये गए जिसके क्रम प्रस्तुत संशोधित वाद पत्र शामिल मिसल है।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी गई पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया । तनकी संख्या 1 ता 3 को साबित करने का भार वादी पर था वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2024, प्रदर्श–2 जमाबन्दी, प्रदर्श–3 गिरदावरी सम्वत 2046, प्रदर्श–4 गिरदावरी सम्वत 2046, प्रदर्श 5 व 6 गिरदावरी सम्वत 2047, प्रदर्श 7 व 8 गिरदावरी सम्वत 2049–51, प्रदर्श–9 गिरदावरी सम्वत 2049 प्रदर्श–10 नोटिस धारा 80 सीपीसी आदि शामिल मिसल है। तनकी संख्या 1 साबित करने का भार वादी पर है जिसमे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 वादगत भूमि खेत खसरा नम्बर 693 तादादी 6.15 बीघा एवं खसरा नम्बर 534 तादादी 6.08 बीघा कुल 13.03 बीघा मौजा मलकीसर के खातेदार विकल्प मे गैर खातेदार काश्तकार है की घोषणा करवाने के अधिकारी है साबित किया जाना है जिसके पक्ष मे स्वयं वादी द्वारा जरिये शपथ पत्र वादी दावा स्वीकार किया जाकर रोही मलकीसर खेत खसरा नम्बर 693 तादादी 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 534 तादादी 6 बीघा 8 बिस्वा कुल 13 बीघा 3 बिस्वा भूमि खातेदार विकल्प में गैर खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु निवेदन किया गया समर्थन मे प्रदर्श की ध्यान आकर्षित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

वाद पत्र वादी के समर्थन मे दो अन्य शपथ पत्र शंकरदास पुत्र स्व. मोहनदास जाति स्वामी निवासी कपूरीसर एवं सीताराम पुत्र स्व. हरलाल जाति ब्राह्मण निवासी मलकीसर बड़ा के पेश किए जिसमे पिठासीन अधिकारी के समक्ष शपथ दिलाई जाकर जो उक्त भूमि के नजदीक अन्य काश्तकार है जिनके द्वारा वादी के कब्जेकाश्त को सही बताया गया है एवं वर्षो से वादी का कब्जा के सम्बन्ध मे बयान दिए गए है। उक्त बयान एवं प्रस्तुत प्रदर्श तनकी संख्या 1 ता 3 सही साबित करते है। जबकी तनकी संख्या 4 साबित करने का भार राजपेरोकार पर है राजपेरोकार द्वारा जवाब [illegible] को दोहराते हुवे कहा गया की वादी का कब्जा उक्त जमीन पर नही एवं वाद पत्र अन्दर मियाद नही है। इस लिये वादपत्र खारिज करने योग्य है। [illegible] मे वादी वकील द्वारा पीठासीन अधिकारी का ध्यान आकर्षण प्रदर्श संख्या 10 की ओर 80 सीपीसी नोटिस 21.03.2013 दिलवाया गया जिससे स्पष्ट है वाद पत्र अन्दर मियाद है एवं रही बात वर्तमान कब्जाकाश्त जिसमे स्वय वादी एवं उक्त भूमि के नजदीक अन्य काश्तकार शपथ पत्र तथा दिनांक 15.11.2021 को तहसीलदार लूणकरनसर द्वारा जारी राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन कार्यवाही नोटिस प्रति से वादी के उक्त भूमि पर वर्तमान कब्जेकाश्त की पुष्टि होती है। अत प्रस्तुत बहस से यह प्रतीत होता है की वादी द्वारा वादपत्र मे निर्धारित तनकी संख्या 1 ता 3 को स्पष्ट रूप से साबित किया गया है जबकी प्रतिवादी तनकील संख्या 4 को साबित करने मे सफल नही रहे है। अत वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 693 तादादी 6 बीघा 15 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 560 तादादी 1.71 हैक्टेयर बनाये गये है इसी प्रकार खसरा नम्बर 534 तादादी 6 बीघा 8 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 448 तादादी 1.62 हैक्टेयर बनाये गये है उक्त भूमि अराजीराज की जगह वादी अपने नाम से गैर खातेदारी दर्ज करवाने की हकदार है। इसलिये वादी का दावा स्वीकार कर वादी को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 693 तादादी 6 बीघा 15 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 560 तादादी 1.71 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 534 तादादी 6 बीघा 8 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 448 तादादी 1.62 हैक्टेयर मौजा रोही मलकीसर का वादी को गैरखातेदारी अधिकार प्राप्त काबिज काश्तकार की घोषणा की जाती हैं। राजस्व रिकॉर्ड मे वादग्रस्त भूमि आराजीराज की जगह वादी के नाम गैरखातेदारी मे दर्ज किया जावे आदेशानुसार तहसीलदार लूनकरनसर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करें। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : संजीव कुमार उपखण्ड अधिकारी

बजरंगदास **बनाम** स्टेट आदि

दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आरटीए136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर :– 99 / 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वादी वकील श्री लालचन्द जाट** मिनजानिब मुद्दई पैरोकार **राज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि मौजा रोही मलकीसर में वादी के वादगत भूमि खसरा नम्बर 693 तादादी 6 बीघा 15 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 560 तादादी 1.71 हैक्टेयर बनाये गये है इसी प्रकार खसरा नम्बर 534 ताददी 6 बीघा 8 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 448 तादादी 1.62 हैक्टेयर बनाये गये है। उक्त भूमि का गैरखातेदारी अधिकार प्राप्त काबिज काश्तकार की घोषणा की जाती हैं। राजस्व रिकॉर्ड में वादगत भूमि आराजीराज की जगह वादी के नाम गैरखातेदारी मे दर्ज किया जावे। आदेश अनुसार तहसीलदार लूनकरनसर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करें।

नीज ....- ....मुबलिक ....- .... फीस सदी बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -.................... को अदा सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-.................... करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 29/09/2023 को डिक्री जारी की गई।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर